



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



क्षेत्र वृक्षक
ONE EARTH - ONE SPIRIT - ONE FUTURE

पत्रांक— 3082 /12-1 देहरादून:दिनांक: 30 जून, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:— जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में राम मंदिर से सिराड़ी गॉव प्राथमिक विद्यालय ठठौली ससपोड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/149153/2021)

संदर्भ:—भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/४१/२०२३/एफ०सी०/८८ दिनांक—28.04.2023 (प्रति संलग्न)

महोदय,

भारत सरकार के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा प्रश्नगत प्रकरण पर कतिपय बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है, जिसकी सूचना वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या—2122/12-1(2) दिनांक 24.02.2024 एवं पत्रांक 3378/12-1(2) दिनांक 06.06.2025 एवं प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 4873/12-1 दिनांक 24-02-2025 एवं पत्रांक 7056 दिनांक 29.05.2025 (प्रति संलग्न) के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है, जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही है :-

क्र.सं०	मॉगी गई सूचना	उत्तर
1	The proposed road's beneficiary village are not marked on the KML file uploaded on the online portal. The State Government is requested to mark the locations of the beneficiary villages on the KML file.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा के०एम०एल० फाईल में लाभान्वित गॉव अंकित कर संशोधित के०एम०एल० ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
2	Correct employment details are necessary to be filled out in Para E (ii) and (iii)	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Correct employment details तथास्थान अंकित कर दी गई है।
3	Correct component-wise break-up is required to be provided in the Para B 2.4 Part I on the online portal.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Correct component-wise break-up on line portal के पार्ट -1 Para B 2.4 में अपलोड कर दी गई है।
4	The CA of 3.42 ha is provided in two patches. The State Government is requested to provide separate KML files and CA schemes for both the patches.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल के दो पैचों की अलग-अलग के०एम०एल० फाईल तैयार की गई परन्तु अलग अलग पैच की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं की गई जिस कारण दोनों पैचों की एक के०एम०एल० फाईल यथास्थान अपलोड कर दी गई है।
5	Justification of the proposal needs to be uploaded at part I, Para D1	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता (Justification) पार्ट-1, पैरा डी-1 में अपलोड कर दिया गया है।
6	An existing road already connects up to the proposed village. Therefore, the requirement for an additional road is not justified. We request the State Government to justify the proposal	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग Existing road से जो मार्ग वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है, उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। उत्तराखण्ड शासन के

	according to the existing norms for connecting village in hilly areas prevalent in the state	पत्रांक सं० 378/XXVII (2)/2018 dt. 31-12-2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्मित मार्ग से 100 मी० ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है।
7	Details of the examined alternative route and its comparison with the proposed route are not provided. This information is required to be provided.	प्रस्तावित समरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण का तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न है ऑन लाईन पोर्टल के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है। पुनः हार्ड कापी 4-4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
8	On reviewing the KML file of the proposed and alternative routes, it is observed that both alignments interest at one point. However the proposed route connects the destination through a longer route passing through dense forest and requiring a larger forest land area. In contrast, the alternative route connects the destination through a shorter route requiring less forest land, The state government is requested to provide clarification regarding this matter.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण का ग्रेड मोटर मार्ग निर्माण की विशिष्टियों के अनुरूप रखा गया है। चूंकि उक्त क्षेत्र में चीड़ का घना जंगल है, जिस कारण वैकल्पिक संरेखण में कम वन भूमि प्रभावित नहीं हुई है।
9	The breadth of the proposed road for tree enumeration is unclear. The State Government is requested to restrict the tree enumeration to the 7m width only.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की गिनती 7 मीटर चौड़ाई में ही की गई है। वृक्षों की सूची पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गई है।

अतः वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन (संरक्षण एवं सर्वेक्षण) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विषयगत प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न- यथोपरि।

भवदीय,



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 3082 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण, वन अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
2. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, बेरीनाग, पिथौरागढ़।



(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 3378 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 06/06/2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में राम मंदिर से सिराड़ी गाँव प्राथमिक विद्यालय ठठौली ससपोड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/149153/2021)

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक- 2403 / 12-1 दि० 29.03.2025

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़, के पत्रांक- 7056 / 12-1 दिनांक- 29.05.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उक्तानुसार।

प्रभागीय पिथौरागढ़

आवश्यक कार्यवाही करें

भवदीय

के.के.

(डॉ धीरज पाण्डेय)

मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
11/06/2025

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संक्षण, वृषि सर्वेक्षण विदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्रांक सं. 5678
पत्रावली 12-1
दिनांक 17-8-25

शुद्धि दर्ता।

03 JUN 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com, Fax/☎ 05964-225234

पत्रांक: 7056/12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 29 मई, 2025।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में राम मंदिर से सिराड़ी गॉव प्राथमिक विद्यालय ठठौली ससपोड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/149153/2021)

सन्दर्भ:- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी का पत्रांक 2403/12-1 दि० 29-03-2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है :-

क्र. सं०	माँगी गई सूचना	उत्तर
1	वॉछित सूचना के बिन्दु संख्या-4 के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दो पैचों की के०एम०एल० फाईल जिसमें एक पैच 1.24 है० एवं दूसरा पैच 2.00 है० अर्थात् कुल 3.24 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपलोड की गई है जबकि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.42 है० क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु (2 पैच 3.24 है०) की के०एम०एल० संशोधित कर (3.42 है०) की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड करते हुये हार्ड प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	बिन्दु संख्या-4 के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित दो पैचों (पहल पैच 1.24 है० एवं दूसरा पैच 2.00 है०) की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन अपडेट कर दी गई है अर्थात् वृक्षारोपण हेतु 3.24 है० के स्थान पर 3.42 है० की संशोधित के०एम०एल० फाईल तैयार कर ऑन लाईन पोर्टल पर यथा स्थान अपलोड कर दी गई है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

अभिधात

25 FEB 2025

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com , Fax/ 05964-225234

पत्रांक: 4873 /12-1

दिनांक, पिथौरागढ़,

24, फरवरी, 2025 ।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा गंगोलीहाट में राम मंदिर से सिराड़ी गाँव प्राथमिक विद्यालय ठौली ससपोड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.71 है० वनभूमि का गैर वानकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रपोजल नं० FP/UK/ROAD/149153/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी०/०६/४१/२०२३/एफ०सी०/८८ दि० २८-०४-२०२३।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्राप्त आपत्तियों का बिन्दुवार निम्नानुसार निराकरण कर निम्नवत प्रेषित है :-

क्र. सं०	माँगी गई सूचना	उत्तर
1	The proposed road's beneficiary village are not marked on the KML file uploaded on the online portal. The State Government is requested to mark the locations of the beneficiary villages on the KML file.	प्रस्तावक विभाग द्वारा के०एम०एल० फाईल में लाभान्वित गाँव अंकित कर संशोधित के०एम०एल० ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
2	Correct employment details are necessary to be filled out in Para E (ii) and (iii)	प्रस्तावक विभाग द्वारा Correct employment details तथास्थान अंकित कर दी गई है।
3	Correct component-wise break-up is required to be provided in the Para B 2.4 Part I on the online portal.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Correct component-wise break-up on line portal के पार्ट -1 Para B 2.4 में अपलोड कर दी गई है।
4	The CA of 3.42 ha is provided in two patches. The State Government is requested to provide separate KML files and CA schemes for both the patches.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण स्थल के दो पैचों की अलग-2 के०एम०एल० फाईल तैयार की गई परन्तु अलग अलग पैच की के०एम०एल० फाईल ऑन लाईन पोर्टल द्वारा स्वीकार नहीं की गई जिस कारण दोनों पैचों की एक के०एम०एल० फाईल यथास्थान अपलोड कर दी गई है।
5	Justification of the proposal needs to be uploaded at part I, Para D1	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता (Justification) पार्ट-1, पैरा डी-1 में अपलोड कर दिया गया है।
6	An existing road already connects up to the proposed village. Therefore, the requirement for an additional road is not justified. We request the State Government to justify the proposal according to the existing norms for connecting village in hilly areas prevalent in the state	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि Existing road से जो मार्ग वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा बनाया गया है, उक्त मार्ग लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है। उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक सं० 378/XXVII (2)/2018 dt. 31-12-2018 में निहित प्राविधानों के अनुसार निर्मित मार्ग से 100 मी० ऊर्ध्वाधर (वर्टिकल) दूरी पर स्थित ग्राम को मार्ग से स्वतः ही संयोजित माना जाता है।

7	Details of the examined alternative route and its comparison with the proposed route are not provided. This information is required to be provided.	प्रस्तावित समरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण का तुलनात्मक विवरण प्रस्ताव में पूर्व से ही संलग्न है ऑन लाईन पोर्टल के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दिया गया है। पुनः हार्ड कापी 4-4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।
8	On reviewing the KML file of the proposed and alternative routes, it is observed that both alignments intersect at one point. However the proposed route connects the destination through a longer route passing through dense forest and requiring a larger forest land area. In contrast, the alternative route connects the destination through a shorter route requiring less forest land, The state government is requested to provide clarification regarding this matter.	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित संरेखण एवं वैकल्पिक संरेखण का ग्रेड मोटर मार्ग निर्माण की विशिष्टियों के अनुरूप रखा गया है। चूंकि उक्त क्षेत्र में चीड़ का घना जंगल है, जिस कारण वैकल्पिक संरेखण में कम वनभूमि प्रभावित नहीं हुई है।
9	The breadth of the proposed road for tree enumeration is unclear. The State Government is requested to restrict the tree enumeration to the 7m width only.	मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों की गिनती 7 मीटर चौड़ाई में ही की गई है। वृक्षों की सूची पार्ट-1 एवं पार्ट-2 के अतिरिक्त सूचना में अपलोड कर दी गई है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
संलग्न:- यथोक्त।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।